

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—1, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. 38ए/2017
संस्थित दिनांक. 30.08.2016

1. उदय नारायण पुत्र रामगोपाल बबेले जाति ब्राह्मण आयु 43 साल पेशा कृषि, निवासी पंचमढी कॉलोनी चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2. राधेश्यामल पुत्र रामगोपाल बबेले जाति ब्राह्मण आयु 36 साल पेशा कृषि निवासी पंचमढी कॉलोनी चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादियां

विरुद्ध

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र कार्यालय चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2. अनुविभागीय अधिकारी (वनपरिक्षेत्र), कार्यालय चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3. वनमण्डलाधिकारी महोदय, जिला वनमंडल कार्यालय अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.
4. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

/// निर्णय ///

:: आज दिनांक 19.12.2017 को पारित ::

01—यह वाद ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—85 रकबा—0.418 हैक्टेयर, जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

02—दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पूर्व में संबत्-2013 के वाद मिट्टू खां के भूमि स्वामी स्वत्व राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जिनके वारिसान

से वादीगण ने पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक—30.12.1998 के माध्यम से उक्त विवादित भूमि को क़य कर कब्ज़ा प्राप्त किया था और क़य दिनांक से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं। राजस्व परिपत्रों में तहसीलदार चंदेरी के द्वारा वादीगण का नामांतरण भी स्वीकार किया गया है। वादीगण भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री बॉल का निर्माण का कार्य दिनांक—10.05.2016 को लगा रहे थे, तो मौके पर रेन्जर व दो सिपाहियों ने आकर विवादित भूमि पर आने से मना किया और विवादित भूमि वन विभाग की बताते हुये वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। वन कर्मचारियों ने विवाद उत्पन्न कर वादीगण के लगाये आम के पौधे पटवा दिये हैं तथा बड़े-बड़े पत्थर व मटेरियल डलवा दिया है। वादीगण के द्वारा अपने स्वत्व के दस्तावेज दिखाये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण यह मानने को तैयार नहीं है कि उक्त भूमि वनसीमा में नहीं आती है तथा उनका कहना है कि विवादित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक—201 के अंतर्गत आती है। अतः विवश होकर वादीगण के द्वारा 80 C.P.C. का सूचना पत्र प्रतिवादीगण को प्रेषित कर सूचना की मियाद निकलने के बाद दिनांक—10.05.2016 को वाद कारण उत्पन्न होने से निर्णय के चरण क्रमांक—1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत यह वाद 2,000/— रुपये पर मूल्यांकन कर 6,00/— रुपये न्यायशुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया।

03—प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 की ओर से दावे का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम प्राणपुर बीट चंदेरी के कक्ष क्रमांक—201 के अंतर्गत आने वाली वन भूमि है तथा उक्त भूमि का विक्रय पत्र सम्पादित नहीं हो सकता है। विवादित भूमि पर वन विभागपर पेड खड़े हैं तथा घाटी का कटा हुआ पत्थर मलवा आदि पड़ा है। विवादित भूमि पर वादीगण का कब्ज़ा नहीं है और न ही वह खेती करते हैं। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—85 नहीं हैं। विवादित भूमि का संयुक्त सर्वे हो चुका है तथा वन विभाग के नक्शों में राजस्व विभाग के द्वारा लाईन मौके के अनुसार बनाई गई। वादीगण वन भूमि पर अतिक्रमण कर जंगल नष्ट करना चाहते हैं तथा उनके द्वारा 80 C.P.C. का नोटिस प्रेषित किये जाने के बाद जबाव में वन विभाग के द्वारा समझाईश भी दी गई थीं। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण के द्वारा कम न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

04—प्रतिवादी क्रमांक—4 की ओर से पृथक से कोई जबाव दावा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

05—प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या प्राणपुर, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 85 रकबा 0.418 हैक्टेयर वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	प्रमाणित है।
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित है।
03.	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित है।
04.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित है।
05.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 23 अनुसार प्रदान किया गया।

—सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक 1 का विवेचन एवं निष्कर्ष—

06—उदय नारायण (वा0सा0—1) का अपने अभिवचनों के समर्थन में अपने सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित भूमि उसने तथा उसके छोटे भाई राधेश्याम ने पूर्व भूमि स्वामी मिट्ठूखा के लडकों से वर्ष 1998 में विधिवत् क्रय की थी तथा भूमि क्रय करने से पूर्व उक्त भूमि पर विक्रेतागण कृषि कार्य करते थे। विवादित भूमि वादीगण के द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि है, इस तथ्य को साबित करने के लिये वादीगण की ओर से पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श—पी—2 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सत्यता को

प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा उक्त भूमि क्रय किये जाने की पुष्टि वादी साक्षी लक्ष्मण (वा0सा0-2) व धर्मा (वा0सा0-3) ने भी की है।

07—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि वादी उदय नारायण तथा उसके भाई राधेश्याम ने विक्रेतागण मेहबूब खां, मेहमूद खां व माशूक खां पुत्रगण मिट्ठुआ खां से दिनांक—30.12.1998 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की थीं। उदय नारायण (वा0सा0-1) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित भूमि क्रय करने से पूर्व उस पर विक्रेतागण कृषि कार्य करते थे तथा क्रय करने के वर्ष के बाद से वर्ष 1997-98 से लेकर सन् 2013-14 तक उनके द्वारा उक्त भूमि पर खेती की गई थी। वादी साक्षी लक्ष्मण (वा0सा0-2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 एवं धर्मा (वा0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-4 में इस बात की पुष्टि की है कि जमीन क्रय करने से पूर्व उक्त भूमि पर विक्रेतागण खेती करते थे।

08—विवादित भूमि पर वादीगण अपना स्वत्व पंजीकृत विक्रयपत्र प्रदर्श-पी-2 के आधार पर होना बता रहे हैं, उक्त विक्रयपत्र से उन्हें वास्तव में विवादित भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त हुये, इस पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व यह देखा जाना है कि क्या विक्रेतागण को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त हैं तथा उसके द्वारा विवादित भूमि विधिवत् वादीगण को विक्रय की गई थी अथवा नहीं ? उदय नारायण (वा0सा0-1) का अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट कहना है कि विवादित भूमि के पूर्व भूमि स्वामी मिट्ठुआ खां थे। जिनके लडकों से उसने विवादित भूमि प्रदर्श-पी-2 के विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की थीं। विवादित भूमि के भूमि स्वामी पूर्व में मिट्ठुआ खां थे इस बात की पुष्टि लक्ष्मण (वा0सा0-2) व धर्मा (वा0सा0-3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में की है।

09—वादी उदय नारायण (वा0सा0-1) व लक्ष्मण (वा0सा0-2) एवं धर्मा (वा0सा0-3) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि वादीगण की ओर से प्रस्तुत विवादित भूमि से संबंधित राजस्व परिपत्रों से होती है। जिनकी सत्यप्रतिलिपि अभिलेख पर है। वादीगण की ओर से जिल्दबंदोबस्त संबत्-2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-1 सहित संबत् 2032-36, 2037-41, 2042-46, 2047-51 के विवादित भूमि से संबंधित खसरो की सत्यप्रतिलिपि क्रमशः प्रदर्श-पी-9 लगायत 12 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, जिनकी सत्यता को एवं उसमें विवादित भूमि के संबंध में हुई प्रविष्टि को प्रतिवादीगण की ओर से कोई

चुनौती नहीं दी गई। उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि जिल्दबंदोबस्त से विवादित भूमि विक्रय होने से पूर्व तक राजस्व अभिलेखों में मिट्ठुआ पुत्र सुवहान के नाम से राजस्व परिपत्रों में दर्ज रही है तथा संबत् 2057-61, 2062-66 एवं 2015-16 के खसरा की सत्यप्रतिलिपि एवं प्रदर्श-पी-7 की भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका से यह स्पष्ट होता है कि भूमि क्रय करने के पश्चात् उक्त भूमि पर वादीगण का विधिवत् नामांतरण स्वीकार हुआ है।

- 10—विवादित भूमि विक्रेतागण के पिता मिट्ठुआ पुत्र सुवहान के नाम पर राजस्व परिपत्रों में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थीं, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होता है। वादीगण की ओर से प्रकरण में वर्ष 2056-57 का विवादित भूमि के संबंध में मध्य भारत क्षेत्र राजस्व खसरा प्रदर्श-पी-8 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सन्-1956-57 में जब मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता लागू नहीं हुई थीं, तो विवादित भूमि पर मिट्ठुआ पुत्र सुवहान के नाम का इंद्राज पक्का कृषक के रूप में किया गया है तथा जिल्दबंदोबस्त के बाद से विवादित भूमि विक्रय के पूर्व तक विवादित भूमि के संबंध में निरन्तर मिट्ठुआ पुत्र सुवहान का नाम राजस्व परिपत्रों में दर्ज चला आ रहा था, जिससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि पर भू राजस्व संहिता-1959 लागू हो जाने के पश्चात् से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-190 के तहत भूमि स्वामी अधिकार प्रोद्भूत हो गये थे।
- 11— वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि पूर्व भूमि स्वामी मिट्ठुआ पुत्र सुवहान के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थीं तथा उक्त भूमि के वहन का मिट्ठुआ को अपने जीवन काल में तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान को पूर्ण अधिकार था, जिससे विवादित भूमि प्रदर्श-पी-2 के विक्रयपत्र के माध्यम से मिट्ठुआ के पुत्रगण के द्वारा वादीगण को विधिवत् विक्रय की गई प्रतीत होती है तथा भूमि स्वामी स्वत्व के जो अधिकार मिट्ठुआ तथा उसके वारिसान को विवादित भूमि पर थे, वहीं अधिकार पंजीकृत विक्रयपत्र प्रदर्श-पी-2 के द्वारा वादीगण को प्राप्त हुआ।
- 12—विवादित भूमि के संबंध में विवाद की स्थिति यह है कि विवादित भूमि वन विभाग वन सीमा के अन्दर बता रहा है, जबकि वादीगण का कहना है, कि उक्त भूमि राजस्व की भूमि है, जिस पर उसका विधिवत् नामांतरण स्वीकार

हुआ है। प्रतिवादीगण की ओर से सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चन्द्रवीर सिंह कुशवाह (प्र0सा0-1) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिनका अपने कथनों में यह कहना है कि विवादित भूमि ग्राम प्राणपुर बीट चंदेरी के कक्ष क्रमांक-201 के अंतर्गत आने वाली वन भूमि है। जिस पर मौके पर वन विभाग के पेड खड़े हैं तथा घाटी का पत्थर मलवा आदि पड़ा है।

13— चन्द्रवीर सिंह (प्र0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण में वादीगण की ओर से विवादित भूमि वन भूमि होने के संबंध में दिये गये अभिवचन एवं कथनों को चुनौती दी गई है। जिस पर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चन्द्रवीर सिंह कुशवाह (प्र0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह स्पष्ट नहीं कर सका कि यदि वह विवादित भूमि को कक्ष क्रमांक पी-201 का भाग बता रहा है, तो उक्त कक्ष में राजस्व की कौन सी भूमियां शामिल हैं। चन्द्रवीर सिंह (प्र0सा0-1) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह तो कहता है कि सर्वे क्रमांक-85 शुरू से ही वन सीमा है, परन्तु उक्त सर्वे क्रमांक किस आदेश से वन सीमा में शामिल हुआ, इसकी वह जानकारी न होना बताता है।

14— चन्द्रवीर सिंह (प्र0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में कहना है राजस्व तथा वन विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वे किया गया है, जिसमें लाईन डालकर भूमियां विभाजित की गई थी, परन्तु उक्त विभाजन के किस आधार पर हुआ तथा किन-किन भूमियों का हुआ, यह इस साक्षी ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में टोपो शीट प्रदर्श-डी-1 C एवं संयुक्त सर्वे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-3 प्रकरण में प्रस्तुत की गई, जिसमें विवादित भूमि चिन्हित कर वन सीमा के अन्दर दर्शाई गई हैं वादीगण की ओर से प्रस्तुत अक्श नक्शा प्रदर्श-पी-3 में भी उक्त विवादित भूमि की स्थिति समान है। अतः वन विभाग का विवादित भूमि पर स्वत्व का मुख्य आधार संयुक्त सर्वे में खींची गई सीमा है, जिसके कारण विवादित भूमि वन सीमा के अंतर्गत दर्शित हो रही है।

15— यह उल्लेखनीय है कि चन्द्रवीर (प्र0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में वादीगण की ओर से यह प्रश्न किये गये हैं कि सूचना के अधिकार के तहत वन व्यवस्थापक के आदेश की प्रति चाही गई थी, जो कि वन विभाग को भी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में चन्द्रवीर (प्र0सा0-1) का कहना है कि वन विभाग के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है तथा वादीगण की ओर से यह सुझाव भी दिया गया है कि सर्वे क्रमांक-85 के संबंध में प्रतिवादीगण वन विभाग व्यवस्थापन का आदेश छुपा रहे हैं। वादीगण के द्वारा दी गई चुनौती

के बाद वन विभाग की ओर से विवादित भूमि पर अपना स्वत्व साबित करने के लिये मात्र संयुक्त सर्वे में डाली गई सीमा रेखा को साबित करने के लिये टोपो शीट प्रदर्श-डी-1 C व संयुक्त सर्वे का नक्शा प्रदर्श-डी-3 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उक्त सीमा के आधार पर निर्धारित की गई, यह साबित करने के लिये प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है।

- 16- वादीगण की ओर से अपने समर्थन में पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उक्त वन व्यवस्थापन की कार्यवाही की आदेश पत्रिकाओं की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। जो कि कार्यालय तहसीलदार चंदेरी से प्राप्त की गई थीं उक्त दस्तावेज वर्ष-1973 में वन व्यवस्थापन अधिकारी मुरैना की कार्यवाही का दस्तावेज हैं। जिसके सत्यता को कोई चुनौती नहीं मिली है। उक्त प्रदर्श-पी-17 के दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश राज्यपत्र दिनांक 28.01.1972 भाग पृष्ठ क्रमांक 144 विज्ञप्ति क्रमांक 751 आइटम क्रमांक 154 के पालन में एस0 जी0 रोजलानी को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा ग्राम चंदेरी सहित ग्राम प्राणपुर की भूमियों के संबंध में तत्समय के भूमियों की आपत्ति पर सुनवाई करते हुये व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया था।
- 17- उपरोक्त प्रदर्श-पी-17 की आदेश पत्रिकाओं की सत्यप्रतिलिपि से यह स्पष्ट होता है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा सर्वे क्रमांक-85 भी वन व्यवस्थापन के समय भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज मानी गई थी तथा वन सीमा से लगी होने के कारण दिनांक-28.12.1973 को पारित किये गये आदेश के अनुसार सर्वे क्रमांक-85 को सीमांकन रेखा से हटा कर उक्त विवादित भूमि सहित आदेश में दर्शाई गई भूमियों को छोड़कर शेष भूमियों के संबंध में आरक्षित वन में व्यवस्थापन का आदेश पारित किया गया था। अतः उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट होता है कि वन व्यवस्थापन से उपरोक्त भूमि अलग करते हुये उसे आरक्षित वन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।
- 18- अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से उनके अभिवचन पूरी तरफ से प्रमाणित होते हैं कि विवादित भूमि वन व्यवस्थापन में वन भूमि में शामिल नहीं की गई थी। विवादित भूमि विधिवत् पूर्व में मिट्ठुआ के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी, जिसे भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त थे तथा मिट्ठुआ के पुत्रगण ने विधिवत् प्रदर्श-पी-2 के पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से विवादित भूमि वादीगण को विक्रय की थी, जिससे विवादित भूमि के वादीगण भूमि स्वामी हो गये तथा

विक्रय के पश्चात् वादीगण को विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण स्वीकार हुआ तथा उनका विवादित भूमि पर वर्ष 1998 से निरन्तर कब्जा भी है।

19— वादीगण पर यह साबित करने का भार था, कि वह विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य साबित करे, जो अभिलेख पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण साबित करने में सफल रहे तथा सबूत का भार अब प्रतिवादीगण पर अंतरित हो जाता है, यदि प्रतिवादीगण यह कहते हैं कि विवादित भूमि वन भूमि हैं, तो उक्त भूमि के वन भूमि होने का प्रमाण उन्हें पेश करना था। मात्र नक्शों में खींची गई रेखा के आधार पर विवादित भूमि वन भूमि नहीं मानी जा सकती है जबकि वन व्यवस्थापन में आरक्षित वन में उक्त भूमि को शामिल नहीं किया गया। वन व्यवस्थापन का आदेश प्रतिवादीगण के आधिपत्य का दस्तावेज हैं, जो कि वादीगण को प्रदान न किये जाने के साथ उनके द्वारा प्रकरण में भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वादीगण की ओर से आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत होने के बाद भी प्रतिवादीगण के पास उक्त दस्तावेज की सत्यता के खण्डन का कोई आधार नहीं है। जिसका लाभ वादीगण प्राप्त करने के पात्र है।

20—अतः अभिलेख पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण यह साबित करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं कि विवादित भूमि वादीगण के विधिवत् स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है। वाद प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

21— उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व अधिपत्य की होना प्रमाणित है तथा उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से अपने स्वत्व का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा स्वयं प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में यह कहना है कि विवादित भूमि वन भूमि है तथा स्वयं वादीगण को विवादित भूमि छोड़ने के लिये प्रतिवादीगण के द्वारा कहा जा रहा है, यह साबित करता है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण अकारण अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के पात्र है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है

वाद प्रश्न क्रमांक 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 22- वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन लगान के 20 गुना से अधिक मूल्य 2,000/- रुपये पर करके 600/-रुपये न्यायशुल्क प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रतिवादीगण की आपत्ति है कि वादीगण ने कम न्यायशुल्क अदा किया है, परन्तु प्रतिवादीगण की आपत्ति का कोई आधार न तो अभिवचन में है और न ही प्रस्तुत साक्ष्य में है। वादीगण के द्वारा प्रकरण में स्वत्व द घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है। जिसके लिये न्यायशुल्क की गणना न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 iv (c) के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था, जिसके लिये वादीगण को ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन कर उस पर मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था तथा न्यायशुल्क के प्रयोजन के लिये इप्सित अनुतोष और वाद का मूल्यांकन वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार एक ही होगा। अतः वादी को 2,000/- रुपये पर 12 प्रतिशत की दर से कुल 240/- रुपये न्यायशुल्क उपरोक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करना था। जबकि वादीगण के द्वारा उससे अधिक न्यायशुल्क 600 रुपये प्रस्तुत किया गया। अतः यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया। अतः **वाद प्रश्न क्रमांक-4 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।**

वाद प्रश्न क्रमांक 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-**सहायता एवं वाद व्यय:-**

- 23-वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य साबित करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 यह स्थापित नहीं कर सका कि विवादित भूमि किस अधिकार एवं आदेश से वन सीमा में शामिल की गई। अतः वादीगण का दावा प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की अज्ञप्ति जारी की जाती है।

01. वादीगण को ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 85 रकबा 0.418 हैक्टेयर का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाता है।

02. प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की उपरोक्त विवादित भूमि में स्वयं व

किसी अन्य के माध्यम से कोई हस्तक्षेप न करें।

03. वादीगण व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

04. अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणिकरण के अधीन नियम 523 म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

05. तदनुसार डिक्री की रचना की जावे ।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
तह0 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
तह0 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.